भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 1075

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 29 अप्रैल, 2016 को दिया गया)

भारतीय लेखा मानक

1075. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:
श्री बी. विनोद कुमार:
श्री राहुल शेवाले:
श्री विनायक भाऊराव राऊत:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री धर्मेंद्र यादव:

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वाणिज्यिक बैंकों, बीमा कंपनियों तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए भारतीय लेखा मानकों के कार्यान्वयन के लिए कोई रूपरेखा तैयार की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने 500 करोड़ रुपए से अधिक संपत्ति वाली कंपनियों के लिए नए लेखा नियम शुरू किए हैं

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या नए लेखा मानक वैश्विक रूप से मान्यताप्राप्त अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों के अभिमुख है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री (श्री अरूण जेटली)

(क) से (ड.): वाणिज्यिक बैंकों (बैंकों), बीमा कंपनियों (बीमाकर्ताओं) और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) के कार्यान्वयन की रूपरेखा की घोषणा दिनांक 18.01.2016 को कर दी गई और कार्यान्वयन कार्यक्रम इस प्रकार है -

(i) बैंकों (शहरी सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अतिरिक्त), ऑल इंडिया टर्म-लैंडिंग रिफाईनेंस इंस्टीट्यूशंस (अर्थात् एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी और सीडबी) को वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए दिनांक 01.04.2018 से लेखांकन मानक अपनाने होंगे।

(ii) 500 करोड़ या उससे अधिक रूपए की निवल संपत्ति वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए दिनांक 01.04.2018 से लेखांकन मानक अपनाने होंगे।

(iii) 500 करोड़ रुपए से कम निवल संपत्ति वाली सूचीबद्ध या सूचीबद्ध की जा रही ऐसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए दिनांक 01.04.2019 से लेखांकन मानक अपनाने होंगे।

(iv) 250 करोड़ रुपए और 500 करोड़ रुपए के बीच की निवल संपत्ति वाली असूचीबद्ध गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए दिनांक 01.04.2019 से लेखांकन मानक अपनाने होंगे।

(v) उपर्युक्त (iii) और (iv) की होल्डिंग सब्सिडियरी, संयुक्त उद्यम या सहायक कंपनियों को वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए दिनांक 01.04.2019 से लेखांकन मानक अपनाने होंगे।

ये भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) के अनुरूप बनाए हैं। देश की विशिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए न्यूनतम संशोधन किए गए हैं।

*****